



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 2010/भाद्र 8, 1932

No. 249]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 2010/BHADRA 8, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2010

सं. आरटी-25014/2/2010-आरएस.—मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय-समय पर यथासंशोधित 16 मई, 1991 के संकल्प संख्या आरटी-23018/3/88-टी का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष परिषद् का सहर्ष पुनर्गठन करते हैं, जो इस प्रकार है :-

क्र. सं.	विवरण	संख्या	संक्षिप्त टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)

क. सरकारी सदस्य

1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री	1	अध्यक्ष
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (के)	1	उपाध्यक्ष
3.	सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (आर)	1	उपाध्यक्ष
4.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी सड़क परिवहन मंत्री	35	सदस्य
5.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महानिदेशक/महानिरीक्षक	35	सदस्य

(1) (2) (3) (4)

6.	केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि 7		सदस्य
	(i) गृह मंत्रालय		
	(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
	(iii) रेल मंत्रालय		
	(vi) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
	(v) भारी उद्योग विभाग		
	(vi) पर्यावरण और वन मंत्रालय		
	(vii) योजना आयोग		
7.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
8.	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	1	सदस्य
9.	महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य सचिव
ख.	गैर सरकारी सहयोजित सदस्य		
11.	सड़क सुरक्षा पुरस्कार विजेता	4	सदस्य
	(क) गैर सरकारी संगठन श्रेणी		
	(i) मुस्कान, जयपुर, राजस्थान (विजेता)		
	(ii) मक्कल सेवई मैयम, तमिलनाडु (उप विजेता)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	(ख) वैयक्तिक श्रेणी			14.	सड़क सुरक्षा से संबंधित एसोसिएशन	6	सदस्य
	(i) डा. ए. एम. इकराम, तमिलनाडु (विजेता)			(i)	अध्यक्ष/सचिव, सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स, नई दिल्ली		
	(ii) श्री विनायक नारायण रेवांकर, कोल्हापुर महाराष्ट्र (उप विजेता)			(ii)	अध्यक्ष/सचिव, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली		
12.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति	6	सदस्य	(iii)	कार्यकारी निदेशक, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम, एसोसिएशन, नई दिल्ली		
	(i) श्री बालकरण पटेल, निवासी पटेल कालोनी बाडारीपुरा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश			(iv)	अध्यक्ष, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली		
	(ii) श्री विनय बाकलीवाल, बी-5, रतलाम कोठी, इंदौर, मध्य प्रदेश			(v)	अध्यक्ष, अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस, नई दिल्ली		
	(iii) डा. नरेश कुमार, प्रधान पैलेस, गांव व डाकखाना हीराकुंड, दिल्ली-110041			(vi)	आल इंडिया कंफेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ऑनर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली		
	(iv) श्री विनय शर्मा, भूतपूर्व एमएलए, बीएच-732, शालीमार बाग, दिल्ली-110088			2.	समिति के विचारणीय विषय और कार्य इस प्रकार होंगे :—		
	(v) श्री मनोज रजनी, गंगा इंडस्ट्रीज, देवास, मध्य प्रदेश			(i)	सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा के मानकों, नीतियों के नियोजन और समन्वय से संबंधित सभी मामलों में परामर्श देना;		
	(vi) श्री प्रदीप एस. मेहता, डी-217, भास्कर मार्ग, बानी पार्क, जयपुर-302016, राजस्थान			(ii)	राज्य सड़क सुरक्षा संगठनों और सड़क परिवहन की प्रभारी अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा लागू किए जाने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करना और उनकी अनुशांसा करना;		
13.	सड़क निर्माण, सड़क सुरक्षा और बीमा से संबंधित सरकारी संस्थाएं	8	सदस्य	(iii)	सड़क दुर्घटना सांख्यिकी रखने और उसके विश्लेषण के साथ-साथ सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा पहलुओं के सुधार के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों का सुझाव देना;		
	(i) निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली			(iv)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा किए गए सड़क सुरक्षा उपायों पर केन्द्रीय स्तर पर सामान्यतः निगरानी रखना।		
	(ii) निदेशक, केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे			3.	यह परिषद् अपने संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विधि निर्धारित करेगी।		
	(iii) अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम, मुम्बई			4.	परिषद् की एक वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक होगी। क्रम संख्या 11 एवं 12 पर गैर-सरकारी सहयोजित सदस्यों को इंडियन एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास से की गई विमान यात्रा अथवा वास्तविक यात्रा जो भी कम हो, के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाएगा।		
	(iv) निदेशक, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे			5.	उपर्युक्त सहयोजित संस्थागत/व्यक्तिगत सदस्यों का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।		
	(v) मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा, लखनऊ						
	(vi) अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद						
	(vii) निदेशक, व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, अहमदनगर						
	(viii) निदेशक, आईआईपी देहरादून, उत्तरांचल						

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ROAD SAFETY)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th August, 2010

No. RT-25014/2/2010-RS.—In exercise of the powers conferred under Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 and in supersession of Resolution No. RT-23018/3/88-T dated 16th May, 1991 as modified from time to time, the Chairman, National Road Safety Council is pleased to re-constitute the Council as under :—

Sl. No.	Particulars	No.	Brief Remarks
1	2	3	4
A. Official Members :			
(1)	Minister for the Ministry of Road Transport and Highways	1	Chairman
(2)	Minister of State (K) for the Ministry of Road Transport and Highways	1	Vice-Chairman
(3)	Minister of State (R) for the Ministry of Road Transport and Highways	1	Vice-Chairman
(4)	Ministers in-charge of Road Transport of all States/UTs	35	Members
(5)	DGs/IGs of all States/UTs	35	Members
(6)	Representatives from Central Ministries/Departments :	7	Members
	(i) M/o Home Affairs,		
	(ii) M/o Human Resource Development,		
	(iii) M/o Railways,		
	(iv) M/o Petroleum & Natural Gas,		
	(v) Department of Heavy Industry,		
	(vi) M/o Environment and Forests,		
	(vii) Planning Commission.		
(7)	Secretary, M/o Road Transport and Highways	1	Member
(8)	Chairman, National Highways Authority of India	1	Member
(9)	Director General (Road Development) and Spl. Secretary, M/o Road Transport & Highways	1	Member

1	2	3	4
(10)	Joint Secretary (Transport), M/o Road Transport and Highways RT & H	1	Member-Secretary

B. Non-Official Co-opted Members

(11)	Road Safety Award Winners	4	Members
	(a) NGO Category		
	(i) Muskan, Jaipur, Rajasthan (Winner)		
	(ii) Makkal Sevai Maiyam, Tamil Nadu (Runner-up)		
	(b) Individual Category		
	(i) Dr. A. M. Ikram, Tamilnadu (Winner)		
	(ii) Shri Vinayak Narayan Revankar, Kolhapur, Maharashtra (Runner-up)		
(12)	Individuals nominated by Minister for Road Transport and Highways	6	Members
	(i) Shri Balakaran Patel, R/o Patel Colony, Bararipura, Chhindwara, Madhya Pradesh		
	(ii) Shri Vinay Bakliwal, B-5, Ratlam Kothi, Indore, Madhya Pradesh		
	(iii) Dr. Naresh Kumar, Pradhan Palace, Village & P.O. Hirankunda, Delhi-110041		
	(iv) Shri Vinay Sharma, Ex. MLA, BH-732, Shalimar Bagh, Delhi-110088		
	(v) Shri Manoj Rajani, Ganga Industries, Dewas, Madhya Pradesh		
	(vi) Shri Pradeep S. Mehta, D-217, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur-302016, Rajasthan		
(13)	Government Institutions related to Road Construction, Road Safety and Insurance	8	Members
	(i) Director, Central Road Research Institute, New Delhi		
	(ii) Director, Central Institute of Road Transport, Pune		

1	2	3	4
	(iii) Chairman, Life Insurance Corporation, Mumbai		
	(iv) Director, Automotive Research Association of India, Pune		
	(v) Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow		
	(vi) Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad		
	(vii) Director, Vehicle Research Development Establishment, Ahmednagar		
	(viii) Director, I.I.P. Dehradun, Uttaranchal		
(14)	Association related with Road Safety	6	Members
	(i) President/Secretary, Society of India Automobile Manufacturers, New Delhi		
	(ii) President/Secretary, Automobile Association of India, New Delhi		
	(iii) Executive Director, Association of State Road Transport Undertakings, New Delhi		
	(iv) President, Automotive Component Manufacturers Association, New Delhi		
	(v) President, All India Motor Transport Congress, New Delhi		

1	2	3	4
	(vi) All India Confederation of Goods Vehicle Owners Association, New Delhi		
	2. Terms of References and functions of the Committee shall be :		
	(i) To advise on all matters pertaining to planning and coordination of policies, standards of safety in the road transport sector;		
	(ii) To formulate and recommend road safety programmes for implementation by State Road Safety Organisations as also other State Agencies in-charge of road transportation;		
	(iii) To suggest areas for research and development to improve safety aspects in the road transport sector including maintenance of statistics of road accidents and their analysis;		
	(iv) To generally oversee and monitor at the central level the road safety measures undertaken by State/UT agencies.		

3. The Council shall decide the procedure and methodology to be adopted for its functioning.

4. The Council will hold its meeting at least once a year. TA/DA shall be paid to the Non-Official Co-opted Members at Serial Nos. (11) & (12) for the journey undertaken by air by economy class in Indian Airlines or actual whichever is less.

5. The tenure of the above co-opted institutional/individual members will be for a period of two years from the date of issue of this Resolution.

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.